न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2019/205

–: प्रार्थीगण :–

1. जयकिशन पुत्र बचनाराम
2. बाया पुत्री बचनाराम
3. केली पत्नी बचनाराम

जातियान जाट निवासी उस्तरां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. गोपाराम पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी उस्तरां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
2. बैंक प्रबंधक एस.बी.आई बिराणी
3. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:–

1. श्री रामकिशोर चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:–** 24/1/22

प्रार्थीगण वकील की तरफ से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया तथा अपनी ओर से निवेदन किया कि ग्राम उस्तरां तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 410 जिसके खसरा नं. 872/1 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि स्थित है, उक्त आराजी को आगे प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी हकूक की कब्जासुद भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 साथ साथ संयुक्त रूप से काबिज है तथा वादग्रस्त आराजी अविभाजित है। अप्रार्थी संख्या 01 अविभाजित आराजी को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने की नीयत से दिखाने लगे, इस पर प्रार्थीगण ने मना किया कि वादग्रस्त आराजी अभी तक अविभाजित है इसलिये पहले वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाडा करा लो उसके बाद अप्रार्थी संख्या 01 अपने हक हिस्सा व बंट में आयी जमीन बेचना व अपनी जमीन पर पत्थर रोपना। इस पर अप्रार्थी संख्या 01 अत्यधिक नाराज हो गये तथा वादग्रस्त आराजी को बेचान करने की धमकी दी और प्रार्थीगण को जमीन में बेदखल करने की धमकी दी जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की सहदायगी कब्जा सुद भूमि है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकता है क्योंकि अविभाजित आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हक व हिस्सा है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने अगर वादग्रस्त आराजी ... पत्थर रोप दिये तो व प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति ...। अतः राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान प्रार्थीगण के हक में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध ... अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी फरमाया जावे कि ग्राम उस्तरां तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 410

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

जिसके खसरा नं. 872/1 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में अप्रार्थी संख्या 01 दखलअंदाजी उत्पन्न नही करे। न ही किसी अन्य से करावे। वादग्रस्त आराजी में राजस्व रेकर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री श्यामलाल चौधरी ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थनापत्र मय काउंटर प्रार्थनापत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पेश जवाब प्रार्थनापत्र में बताया गया कि ग्राम उस्तरां के खसरा नं. 872/1 प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी में जरूर है लेकिन प्रार्थीगण के पिता, पति व अप्रार्थी संख्या 01 के बीच लिखित बंटवाडा संवत 2048 में हो गया तब से दोनों भाई अलग अलग काश्त करते है तथा दोनों भाईयों के खेत के बीच पुरानी माठ कायम है। अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जा काश्त के विवादित खेत के चारों तरफ तारबंदी व जाली की हुई है अर्थात मौके पर विवादित खेत का प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 के बीच पूर्व में ही बंट हो रखा है तथा अलग अलग काश्त करते है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बंट निम्न है, विवादित खेत के पूर्वी (अगुणे) आधा भाग/दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 का बंट रखा गया तथा विवादित खेत के पश्चिम (आतुणे) दिशा में प्रार्थीगण के पिता व पति बचनाराम ने अपना बंट रखा गया, उक्त बंटवाडा अप्रार्थी के पिता बालाराम के जीवनकाल में हो गया। विवादित खेत का पूर्व में बंटवाडा के अनुसार कागजी बंटवाडा किया जावे तो अप्रार्थी को किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा अप्रार्थी अपने हक व हिस्से की भूमि को किसी अंजान व्यक्तियों को बेचान नही किया है तथा न ही करूंगा। अप्रार्थी ने अपने बंट व हिस्से की भूमि पर खाद डाल कर उपजाउ बनाया है तथा आवारा पशुओं से खेत की फसल बचाने के लिए तारबंदी व जाली वक्त बंटवाडा से की हुई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र भारी हर्जा खर्चा के साथ खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थी का विवादित भूमि पर हक व हिस्सा अप्रार्थी के बंट व कब्जा काश्त की पूर्वी दिशा का हिस्सा व अप्रार्थीगण के खेत पर काश्त करने हेतु आने जाने का रास्ता रेकर्ड में दर्ज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पेश काउंटर प्रार्थनापत्र में बताया गया कि ग्राम उस्तरां की सरहद में भूमि खसरा नं. 1120/10 रकबा 10 बीघा आई हुई है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आधा आधा भाग पर कब्जा काश्त है जिसकी अभी तरमीम नही हो रखी है जिसको आगे काउंटर प्रार्थनापत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। विवादित भूमि प्रार्थीगण के पिता बचनाराम व अप्रार्थी संख्या 01 के सामलाती पारिवारिक आय से खरीद की हुई है तथा प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी का बड़ा भाई था तथा घर का कर्ताधर्ता भी प्रार्थीगण के पिता व पति था। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी ने कल्याणसिंह पुत्र मेहतापसिंह जाति राजपूत वगैराह निवासी उस्तरां से खरीद सन 1987 में किया गया तथा खसरा नं. 1120/10 में प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी का सामलाती कब्जा काश्त था तथा आज भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का विवादित भूमि के आधा हिस्सा पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है, इस आधार पर विवादित भूमि के 1/2 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अप्रार्थी के हक व हिस्से पर प्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नही करे, स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान करे। प्रार्थीगण वकील को काउंटर प्रार्थनापत्र के ज[illegible]स अवसर देने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर काउंटर प्रार्थनापत्र का जवाब बंद किया गया।

वकुलाय उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने बहस में बताया कि ग्राम उस्तरां तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 410 जिसके खसरा नं. 872/1 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी हकूक की कब्जासुद

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 साथ साथ संयुक्त रूप से काबिज है तथा वादग्रस्त आराजी अविभाजित है। जब तक वादग्रस्त आराजी का विभाजन नही हो तब तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 के वकील ने बहस में बताया कि पारिवारिक सेटलमेन्ट से वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 872/1 पूरा अप्रार्थीगण के हिस्से में आया है। इस पर अप्रार्थी संख्या 01 काबिज भी है। जब अप्रार्थी संख्या 01 तारबंदी करने लगा तो अप्रार्थी संख्या 01 को रोकने तथा हैरान परेशान करने के लिए प्रार्थीगण ने दावा पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा मेरे जवाब प्रार्थनापत्र का कोई खंडन नही किया गया है। प्रार्थीगण का हक यदि है तो दावे में निस्तारण हो जायेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। तत्पश्चात प्रार्थीगण वकील ने रिबटल बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब में लिखा है कि भूमि के बीच में मांठ कायम है, अगर हमारा हिस्सा नही है तो मांठ कहां से आयी। अतः बंटवाडा करके हमारा हिस्सा दिया जावे तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश प्रदान करे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर मनन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र एवं अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत काउंटर प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र एवं अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत काउंटर प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम उस्तरां तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 410 जिसके खसरा नं. 872/1 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी तृतीय तथा ग्राम उस्तरां की सरहद में भूमि खसरा नं. 1120/10 रकबा 10 बीघा में अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभय पक्षकारान राजस्व मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

24/1/22

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 24/1/22 को सरे ईजलास सुनाया गया।

24/1/22

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:16 IST
Reason: SelfAttested